

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण सामग्री)

पुलिय तल, अरुण भवन, शहीद धीर अली ख़ाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-११

प्रभक,

डॉ० परशुराम राम, मा०व०सं०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,

पटना अंचल, पटना।

पटना-14, दिनांक-15/06/2015

विषय : बिहारशरीफ़ पावर प्रिड में कहलगाँव बे-1 का सासाराम बे-1 तथा पूर्णियाँ बे-1 (1&2) के सासाराम बे (3&4) के अदला-बदली (Swapping) 400 KV D/C पार्षण लार्डन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.414 हे० वन भूमि का "अपर महोपबंधक, पावर प्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि०, बिहारशरीफ़ के पक्ष में" अपायोजन के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के पत्रांक 10.12.2014 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पयावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011 एवं बिहार सरकार, पयावरण एवं वन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ बिहारशरीफ़ पावर प्रिड में कहलगाँव बे-1 का सासाराम बे-1 तथा पूर्णियाँ बे-1 (1&2) के सासाराम बे (3&4) के अदला-बदली (Swapping) 400 KV D/C पार्षण लार्डन निर्माण हेतु 0.414 हे० वन भूमि अपायोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है-

(i) अपायोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) अपायोजित होने वाली वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (हे०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 08.03 लाख रु० प्रति हे० की दर पर कुल रु० 3,32,442/- मात्र की राशि जमा की जायेगी।

(iii) अपायोजित होने वाली वन भूमि के द्युने (0.414 ha X2 = 0.828 ha) लगभग 1.00 हे० अवकष्ट वन क्षेत्र में वनरोपण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी तात्कालिक दर पर राशि पयावरण एवं वन विभाग की उपलब्ध करायेंगी।

(iv)

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Net Present Value (NPV) और सभी अन्य राशि Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के Ad-hoc Body के बतल खाता लेखा संख्या SB01025201 या Corporation Bank CGO, Complex, Phase-1, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 (RTGS/IFSC No. CORP0000371) में धारित है या बतल खाता संख्या 344902010105410 या Union Bank of India, Sunder Nagar, नई दिल्ली 110003, (RTGS/IFSC No. UBIN0534498) में धारित है, में RTGS/NEFT Mode से फंड ट्रांसफर कर जमा कराई जायेगी, जैसा कि भारत सरकार, पयावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई

दिल्ली के पत्रांक 12-2/2010-CAMPA दिनांक 13.5.2011 एवं दिनांक 24.06.2011 द्वारा संसूचित किया गया है। उक्त जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को संबधित बैंक द्वारा प्रदत्त UTR No. एवं दिनांक की मूलप्रति के साथ दी जायेगी।

(v) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।

(vi) वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा।

(vii) प्रयोक्ता एजेंसी राईट ऑफ वे पर बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा तैयार योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(viii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 12 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। वृक्षों का पातन/कंटाई-छंटाई वन विभाग की देख-रेख में प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर किया जायेगा।

(ix) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

(x) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(xi) वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छंटाई की जायेगी।

(xii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

(xiii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे है।

(xiv) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(xv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।

(xvi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(xvii) उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबधित वन प्रमंडल पदाधिकारी इस कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

(xviii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।

(xix) उपरोक्ता अधिकरण (इस मामले में Power Grid Corporation India Limited) अध्याजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अस्पृण (assignment) नहीं करेगी।

अध्याजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य विनों के लिये भारत सरकार द्वारा 1 (एक) हे० वन भूमि के अध्याजन की शक्ति राज्य सरकार को देने तथा इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) को यह शक्ति प्रत्याजित करने के आलाक से निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त बातों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अध्याजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विद्यवांसभाजन,

रु०/-

(परेशराम राम)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

दिनांक 15/06/2015 (F.C.) ११

प्रतिनिधि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनाार्थ एवं आवाश्यक सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षीय कार्यालय, सूची/मुख्य कार्याकारी पदाधिकारी, एड-हॉक कैम्पा, भारत

कार्याई हेतु प्रेषित।

रु०/-

(परेशराम राम)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

दिनांक 15/06/2015 (F.C.) ११

प्रतिनिधि: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नाला / अपर महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, बिहारशाखा को सूचनाार्थ एवं आवाश्यक कार्याई हेतु प्रेषित।

०/०

(परेशराम राम)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

5.19/15/2015